भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5600
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

प्रमुख योजनाओं में निधियों का कम उपयोग

5600. **सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वर्ष 2021-22 और 2024-25 के बीच धन का काफी कम उपयोग हो पाया है, जिसमें मिशन शक्ति पर किया गया व्यय बजट से 43 प्रतिशत कम है और मिशन वात्सल्य पर व्यय 14 प्रतिशत कम रहा है;
(ख) यदि हां, तो कम उपयोग के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) दोनों मिशनों के अंतर्गत प्रभावकारी रूप से लाभ पहुंचाने के साथ-साथ निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वर्ष 2021-22 और 2024-25 के बीच मिशन वात्सल्य के संबंध में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान (आरई) का 99.46% है। मिशन शक्ति के संबंध में, इसी अवधि के बीच वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 88.83% है।

(ख): मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति दोनों ही केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार और साथ ही वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है ताकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श (एसपीएआरएसएच) सहित निर्धारित प्रक्रिया के पालन के माध्यम से सार्वजनिक निधि से व्यय के मामलों में विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके और योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के कार्यक्षेत्र के अन्दर है। निधि के केंद्रीय अंश को जारी करने की नई प्रणाली नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने और केंद्र तथा राज्यों दोनों से "समय पर" धन प्रवाह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। धन के कम उपयोग के मुख्य कारणों में आंशिक रूप से एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) में और एसएनए से एसएनए स्पर्श मॉड्यूल में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया में हुई देरी शामिल है। एसएनए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बाद, वास्तविक केंद्रीय अंश जारी होने से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है:

i. जारी की गई निधियों के 75% का राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग ।

ii. जारी किये जाने से पहले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए में पहले में जारी किए गए वार्षिक आवंटन (केंद्र + राज्य का अंश) की शेष राशि अधिकतम 12.5% अथवा उससे कम होनी चाहिए।

iii. केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी की गई परंतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास बिना खर्च के बची हुई निधि पर अर्जित ब्याज को जमा करना।

इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी करने पर असर डालते हैं। जिसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) इत्यादि जैसे भवनों के लिए भूमि की पहचान एवं निर्माण गतिविधियों के पूरा होने में देरी, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) जमा करने में देरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), महिला सशक्तीकरण हब (एचईडब्ल्यू) इत्यादि के तहत की गई गतिविधियों में कमी, लंबित देनदारियों को जारी करने के लिए आवश्यक अधूरे दस्तावेजों की प्राप्ति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई मूल मंजूरी के विरुद्ध बिलों की प्राप्ति न होना इत्यादि शामिल है। नए उन्नत सॉफ्टवेयर में परिवर्तन

जो पेपर-लेस है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) इत्यादि के तहत आधार प्रमाणीकरण और एनपीसीआई सीडिंग सक्षम है।

(ग): मंत्रालय कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरों सहित विभिन्न तरीकों से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है और समय-समय पर सलाह जारी करता है। मंत्रालय पीएफएमएस टीम के माध्यम से एसएनए/एसएनए स्पर्श से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हैंडहोल्डिंग सत्र आयोजित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दस्तावेजों की प्राप्ति में देरी से बचने के लिए यूसी और एसओई अपलोड करने के लिए एक समर्पित पोर्टल तैयार किया है। पीएमएमवीवाई के तहत नए सॉफ्टवेयर में बदलाव अब पूरा हो गया है (तमिलनाडु और ओड़िशा के मामलों को छोड़कर)। पीएमएमवीवाई के पुराने सॉफ्टवेयर से लंबित आवेदनों को अब नए सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप मामलों का तेजी से प्रसंस्करण हुआ है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। इसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) की विभिन्न गतिविधियाँ, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चलाता है।

*****